न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—171/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/171)

1. श्रीमती शांति पत्नी श्री श्रवण जाति रावत
2. श्रीमती संपत्ति पत्नी श्री रामप्रसाद जाति जाचक
3. परमेश्वर पुत्र श्री रामप्रसाद जाति जाचक
4. रमेश पुत्र श्री रामप्रसाद जाति जाचक

समस्त निवासीगण ग्राम फारकिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती जीवणी पत्नी श्री कामड जाति जाचक
2. हंसराज पुत्र श्री कामड जाति जाचक
3. प्रहलाद पुत्र श्री शंकर जाति जाचक

समस्त निवासीगण ग्राम फारकिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

4. मैनेजर एस0वी0वीजे0 (वर्तमान में एस0वी0आई) शाखा श्रीनगर तहसील नसीरबाद जिला अजमेर।
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद राजस्व वाद संख्या 133/2017

उपस्थितः—

1. श्री एन0के0जैन अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 व 4 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—28.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 133/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खाता संख्या 498/487 खसरा नम्बर 149 रकबा 0.08 हैक्टयर किस्म बारानी—3 खसरा नम्बर 122 रकबा 0.24 हैक्टयर किस्म बारानी—1, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.10 हैक्टयर किस्म बारानी—1, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.13 हैक्टयर किस्म बारानी—1, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.08 हैक्टयर किस्म बारानी 1 एवं खसरा नम्बर 152 रकबा 0.27 हैक्टयर किस्म बारानी—1 की भूमि जो कि ग्राम फारकिया तहसील नसीराबाद में स्थित है, वर्तमान खसरा नम्बर 149 रकबा 0.08 हैक्टयर कि जिसमें अपीलार्थी सख्या 02 श्रीमती सम्पत्ति पत्नी श्री रामप्रसाद का वर्तमान

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी के अनुसार 1/6 हिस्सा यानि रकबा 0.0400 हैक्टयर की हिस्सेदार दर्ज है तथा अपीलाधीन भूमि कि जिसमें 1/2 हिस्सा की सहहिस्सेदार खातेदार अपीलार्थीया संख्या 01 श्रीमती शान्ति पत्नी श्री श्रवण जाति रावत वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार खातेदार दर्ज है तथा अपीलाधीन भूमि कि जिसमें 1/2 हिस्सा के सहहिस्सेदार खातेदार वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 दर्ज है, इस सन्दर्भ में वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद बंटवाडा, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा आज्ञप्ति के सन्दर्भ में एवं अपीलार्थीया संख्या 01 के द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काउन्टर क्लेम बाबत 1/2 हिस्सा की खातेदार एवं बंटवाडा बाबत वाद प्रस्तुत किया गया कि जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र में दिनांक 23–09–2021 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा निर्णय व प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में बंटवाडा प्रस्ताव तलब किया गया, बंटवाडा प्रस्ताव जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वह टेनेन्सी रूल्स 18 से 21 के प्रतिकूल बंटवाडा प्रस्ताव, विधि के प्रतिकूल प्रस्तुत किया गया इस पर अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवाडा प्रस्ताव के विरूद्ध आपत्ति आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया कि जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव के विरूद्ध आपत्ति आवेदन पत्र को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.6.2022 को पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 133/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 व 4 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि कि जिसमें 1/2 हिस्सा की सहहिस्सेदार खातेदार अपीलार्थीया संख्या 01 है अपीलार्थीया संख्या 01 के द्वारा खातेदार श्रीमती कमला पत्नी श्री रामा जाति जाचक से जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया, अपीलाधीन भूमि की जिसमें वर्तमान खसरा नम्बर 122 के दक्षिणी तरफ वर्तमान खसरा नम्बर 123 व 124 जो कि चाह खसरा नम्बर 125 से लगती हुई भूमि कि जिस पर अपीलार्थीया संख्या 01 की विक्रेती का कब्जा काश्त था जो अपीलार्थी संख्या 01 को मौके पर कब्जा दिया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव विधि के प्रतिकूल है जबकि निम्नानुसार अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 का मौके पर कब्जा काश्त चला आया है अनुसार ही बंटवाडा किया जाना वांछित है। अपीलार्थी संख्या 01 श्रीमती शांति वर्तमान खसरा नम्बर 122 के दक्षिणी तरफ वर्तमान खसरा नम्बर 123 व 124 जो कि चाह खसरा नम्बर 125 से लगती हुई भूमि पर अपीलार्थीया संख्या 01 का ही विधिक एवं भौतिक कब्जा काश्त चला आया है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया है वह गलत है तथा वर्तमान खसरा नम्बर 151 व 152 कि जिसमें से बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 152 में से रकबा 0.1750 है0 की भूमि अपीलार्थी संख्या 01 को बंटवाडे के अनुसार अपीलाधीन आदेश व अंतिम डिक्री में दर्शाई गई जबकि वर्तमान खसरा नम्बर 152/2 रकबा 0.1750 है0 की भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता ही नहीं दिया गया तथा साथ ही चाह खसरा नम्बर 125 से पिलाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किया जाना भी संभव नहीं है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं अंतिम डिक्री विधि के प्रतिकूल, टेनेन्सी रूल्स 18 से 21 के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 का वर्तमान खसरा नम्बर 122 पर कब्जा चला आया है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवाडा प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया है वह गलत है। अपीलार्थीगण संख्या 2 से 4 कि जिनका वर्तमान खसरा नम्बर 149 में से रकवा 0.0400 है0 की भूमि बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार दी गई जबकि अपीलार्थीगण संख्या 2 से 4 को बंटवाडे के अनुसार दी गई भूमि पर आवागमन का कोई रास्ता ही नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया इस संदर्भ में मौके पर बंटवाडा करने से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई सूचना नोटिस ही नहीं दिए गए इस संदर्भ में अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवाडा प्रस्ताव के विरूद्ध आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बंटवाडा प्रस्ताव से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई सूचना नोटिस ही नहीं दिए गए इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया, यहां तक कि अपीलार्थीगण संख्या 2 से 3 के द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र में यह भी दर्शाया कि तामील कुनन्दा के द्वारा उनके फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठे कर तामीली रिपोर्ट जो बंटवाडा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की गई फर्जी है, कि जिसकी जांच भी करवाई जावे परंतु अधीनस्थ न्यायायल के द्वारा इस संदर्भ में अपीलाधीन आदेश एवं अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.9.2021 के अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार नसीराबाद से तलब किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवाडा प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया वह पटवारी हल्का फारकिया के द्वारा दिनांक 7.3.2022 की बंटवाडा प्रस्ताव रिपोर्ट जबकि दिनांक 7.3.2022 को मौके पर नायाब तहसीलदार उप तहसील श्रीनगर के द्वारा हस्ताक्षर किए गए इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की आपत्ति भी प्रस्तुत की गई कि बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार नसीराबाद से तलब किया गया परंतु बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 7.3.2022 कि जिस पर तहसीलदार नसीराबाद के हस्ताक्षर ही नहीं है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश व अंतिम डिक्री में यह कथन किया कि बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 7.3.2022 कि जिसे तहसीलदार नसीराबाद के द्वारा पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना दर्शाया जबकि बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 7.3.2022 से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार नसीराबाद के द्वारा कोई बंटवाडा प्रस्ताव तैयार ही नहीं किया जबकि बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 7.3.2022 जो कि पटवारी हल्का फारकिया एवं संबंधित आईएलआर कि जिसे मात्र पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जबकि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्तमान में ही इस आशय का परिपत्र जारी किया गया कि बंटवाडा प्रस्ताव न्यायालय के आदेशानुसार संबंधित तहसीलदार के द्वारा ही तैयार किया जावे बंटवाडा प्रस्ताव से पूर्व संबंधित पक्षकारान को जरिए नोटिस सूचना भी दी जावे इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव रिपोर्ट जो कि विधि के प्रतिकूल है एवं टेनेन्सी रूल्स 18 से 21 के विपरीत है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 133/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2022 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सहखातेदारी/सहकाश्तकारी भूमि वाकै मौजा ग्राम फारकिया पटवार क्षेत्र फारकिया भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीनगर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में स्थित है, जिसका वर्णन वर्तमान जमाबंदी संवत 2072 स 2075 के अनुसार है। उपरोक्त आराजीयात खाता संख्या 458/487 के खसरा नम्बर 149 रकबा 0.08 के खातेदार संपत्ति पत्नि रामप्रसाद, परेश्वर, रमेश पुत्र रामप्रसाद प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा एवं जीवणी पत्नि कामड व हंसराज पुत्र कामड वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है तथा खाता संख्या 22/297 में खातेदार कमला की मृत्यु हो गई का वारिसान दत्तक पुत्र के 1/2 हिस्सा एवं जीवणी पत्नि कामड व हंसराज पुत्र कामड वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात में वादीगण को 1/2 हिस्सा निहित है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित संख्या आराजीयात में निहित वादी के हक हिस्से की भूमि व वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 दखलंदाजी करते है तथा वादी की संयुक्त अविभाजित भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हडपना चाहते है तथा भूमि का रहन, बेचान हस्तांतरण करने पर आमादा है एवं जिसका प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है तथा वादी की वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है को अपने हक व हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाने का अधिकार प्राप्त है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बंटवारा नहीं करना चाहता है जिससे वादी को उसके हक हिस्से का बाई मिट्स बाउन्डस के बंटवारा कराया जावे जिस हेतु बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी बंटवारे की आज्ञप्ति पारित की जावे। वादपत्र की चरण संख्या एक वर्णित आराजीयात में वादी को अपने हक व हिस्से की भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 महरूम/बेदखल करने पर आमादा है जिसके लिए उक्त कृत्य कारित कर गैर कानूनी रूप से बेचान करना चाहते है तथा वादी को उनकी खातेदारी भूमि में निहित हक व हिस्से से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बेदखल नहीं करे उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करे तथा अवैध निर्माण नहीं करे तथा अवैध कबजा कारित नहीं करे के लिए स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित की जावे इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण भी वादी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। वाद विचारण के दौरान वादीगण ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वर्तमान अपीलांट संख्या 1 को उक्त वाद में पक्षकार मुर्तिब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांट द्वारा जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि खाता संख्या 22/227 की भूमि उसके द्वारा क्रय की गई है अतः उक्त आराजी पर जवाबकर्ता का 1/2 हिस्सा बनता है। अतः आराजी मुतनाजा पर विक्रय पत्र अनुसार वर्तमान अपीलांट संख्या 1 को खातेदार घोषित किया जावे व विभाजन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 23.9.2021 को स्वीकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कर तहसीलदार नसीराबाद को उक्तानुसार आराजी मुतनाजा में सह खातेदारों के मध्य विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने बाबत आदेश दिए गए। अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 07.03.2022 को तैयार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद को प्रेषित किया गया। उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर वर्तमान अपीलांट संख्या 1 व अपीलांट संख्या 2 से 4 द्वारा क्रमशः दिनांक 01.06.2022 व 03.06.2022 को आपत्ति विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07.03.2022 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनों आपत्तियों को दिनांक 15.06.2022 को खारिज किया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07.03.2022 को तैयार बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव नायब तहसीलदार उप तहसील श्रीनगर, भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का फारकिया द्वारा तैयार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय विधिक त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय खसरा नम्बर 151 व 152 के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 152 में से रकबा 0.1750 है0 की भूमि अपीलार्थी संख्या 01 को बंटवाडे के अनुसार अपीलाधीन आदेश व अंतिम डिक्री में दर्शाई गई जबकि वर्तमान खसरा नम्बर 152/2 रकबा 0.1750 है0 की भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता ही नहीं दिया गया तथा साथ ही चाह खसरा नम्बर 125 से पिलाई (सिंचाई) का किया जाना भी संभव नहीं है, क्यों कि भूमि पर आवागमन बावत रास्ता भी नहीं दर्शाया गया है जबकि बंटवाडे के अनुसार प्रत्येक खातेदार को बंटवाडे के अनुसार प्राप्त हुई भूमि पर आवागमन का रास्ता भी दिया जाना आवश्यक है। जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में नहीं दिया गया है। उक्त बंटवारा प्रस्ताव नायब तहसीलदार उप तहसील श्रीनगर, पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक के साथ तैयार किया गया है जो कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना किए बगैर तैयार किया जाकर तहसीलदार को प्रेषित किया गया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायायल द्वारा निर्णय पारित किया गया है। वर्तमान अपीलांट्स द्वारा उक्त बंटवारा प्रस्ताव बावत आपत्ति भी पेश की गई थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियों को भी दरकिनार करते हुए बिना न्यायिक सिद्धांतों व विधिक प्रावधानों का प्रयोग करते हुए व राजस्व मण्डल के नियमों की अवहेलना करते हुए उक्त आपत्तियों पर बिना विधिक निर्णय किए खारिज की गई। चूंकि न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी बंटवारा प्रस्ताव अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं नियम 18 से 21 के अनुसार होता है। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा बंटवारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल)–1955 के नियम 18 से 21 के तहत् नहीं किया गया है तथा तहसीलदार की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल)1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधान के तहत् विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा बनाया जाना आदेशात्मक है। उक्त प्रकरण में जो बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है वह केवल नायब तहसीलदार उप तहसील श्रीनगर, पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया जाकर तहसीलदार, नसीराबाद को प्रेषित किया गया है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम **निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2022 पारित किया गया है जो कि न्यायसंगत नहीं है चूंकि कि उक्त निर्णय में विधिक व तकनीकि त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कारित हुई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 133/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्षकारान को जवाब, सुनवाई का अवसर देते हुए तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में (नियम 18 से 21 की पालना करते हुए) बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते हुए व उक्त रिपोर्ट पर उनकी आपत्ति व जवाब लेकर उनका निस्तारण करते हुए व बंटवारे के अनुसार दी गई भूमियों पर आवागमन हेतु रास्ते को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर अंतिम निर्णय एवं डिक्री जारी करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.06.2025 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

28/05/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर
अजमेर

Scanned with CamScanner